


**अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर**

अभिलेख संद संख्या- 158/2020-2(611)

दिनांक  
3/9/2020

आदेश फलक	अभियुक्ति
<p>संद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के इपॉजिट-2074/सो, दिनांक-13.05.2016 सहपटित- श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3 खातामोनिटे-119/85/2308/सो, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागोय परिपत्र संख्या-914/सो, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खारा भूमि को कायम की गयी जमावदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अधिनियम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि</p> <p>गौजा- <u>गौडतीपा</u> शाना नं०- <u>184</u>, खाता संख्या- <u>98</u> प्लॉट संख्या- <u>1495</u> संख्या- <u>70 जीठ</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खारा अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमावदी उस गौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- <u>2</u> के पृष्ठ संख्या- <u>501</u> पर जमावदी रैयत <u>बीरसिंह मांसी</u> पिता <u>धुमा मांसी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमावदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमावदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमावदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमावदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमावदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/9/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	<p align="right">               03/9/20              अंचल अधिकारी              गोविन्दपुर         </p>

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

वाद अभिलेख संख्या- 158/20-21(000)/2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act, 1950)

सूचना

पनाम वीरसिंह गाँधी  
पिता- बृजगो गाँधी  
साल- गौड़तौपा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि गौजा- गौड़तौपा थाना नं०-  
184, खाला नं०- 78 खेसरा नं०- 1495,  
रकबा- 70 बी३ से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- VIII के पंजी II भाग 2  
के पृष्ठ 501 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम  
से जौधोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 19/9/2020 को रागय-11.00 बजे पूर्वाह्न  
में उक्त भूमि का रिटर्न-1 भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत  
जमींदार रसीदों फार्म उ एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि  
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना  
पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नाही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज  
जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

03/9/20

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

तिथि :-

.....

स्थान :-

.....

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त; निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

19/9/22

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर